भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3856

21 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन

3856. श्री गौरव गोगोई:

श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

कुमारी अगाथा के. संगमा:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑयल के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का चयन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने जैव विविधता पर पाम ऑयल प्लांटेशन के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पाम ऑयल प्लांटेशन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उपायों को लागू किया है या लागू करने का इरादा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): वर्ष 2020 में आईसीएआर-आईआईओपीआर की पुनर्मूल्यांकन समिति ने पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश में ऑयल पाम की खेती के संभावित क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया है। पुनर्मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऑयल पाम की खेती के लिए संभावित क्षेत्र के रूप में 27.99 लाख हेक्टेयर के साथ कुल 22 राज्यों की पहचान की गई है।

आईसीएआर-आईआईओपीआर, 2020 की पुनर्मूल्यांकन समिति ने रिमोट सेंसिंग (आरएस), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) जैसे विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सिंचित और वर्षासिंचित स्थिति के तहत ऑयल पाम की खेती के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की है। सिंचित परिस्थिति के तहत भूजल स्तर, वर्षा (वार्षिक), न्यूनतम तापमान, दुगने/तिगुने फसलित क्षेत्रों को प्रमुख मापदंडों के रूप में लिया गया है। वर्षा-सिंचित श्रेणी के

मामले में, पांच मानदंड अर्थात; वर्षा, न्यूनतम तापमान, ऊंचाई, ढलान, मृदा की गहराई और निरंतर शुष्क अवधि की समय अवधि की संभावित क्षेत्रों के रखांकन के लिए पहचान की गई है।

वर्षा-सिंचित स्थितियों के तहत, ऑयल पाम को प्रति माह 150 मिमी की दर से लगभग 1800 मिमी बारिश की आवश्यकता होती है। सिंचित परिस्थितियों में भी वर्षा को 7% वेटेज (भारित) के साथ एक महत्वपूर्ण मानदंड माना जाता है क्योंकि यह कम से कम वर्षा अवधि के दौरान भूजल के बदले पानी की आपूर्ति का योगदान देता है। आईसीएआर-आईआईओपीआर के अनुसार, वर्षा उपयुक्तता श्रेणियों को ऐतिहासिक सामान्य (1950-2000) से एकत्र किए गए आईएमडी वर्षा आंकड़ों तथा वर्ष 1969-2000 की अवधि के लिए आईसीएआर-सीआरडीए के न्यूनतम तापमान आंकड़ों के आधार पर >1000 मिमी (अत्यधिक उपयुक्त), 601-1000 (सामान्यत: उपयुक्त) और <600 मिमी (उपयुक्त नहीं) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आयात बोझ कम करने के उद्देश्य से क्षेत्र विस्तार का उपयोग करके, कच्चे ऑयल पाम उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से **राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) मिशन की** शुरूआत की गई है। एनएमईओ-ऑयल पाम की मुख्य विशेषताओं में रोपण सामग्री के लिए सहायता, 4 वर्ष की गेस्टेशन अवधि तक अंतरफसलन के लिए आदान और रखरखाव, बीज उद्यानों की स्थापना, पौधशाला, सूक्ष्म सिंचाई, बोर वेल/पंपसेट/जल संचयन संरचना, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, सोलर पंप, हार्वेस्टिंग उपकरण, कस्टम हायरिंग केंद्र सह हार्वेस्टर ग्रुप, किसान और अधिकारी प्रशिक्षण आदि शामिल हैं तथा ऑयल पाम उद्यानों की रोपण सामग्री के लिए सहायता शामिल है।

एनएमईओ (ऑयल पाम) योजना की कुल स्वीकृत लागत **11,040 करोड़ रुपये है जिसमें से 8844 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सेदारी और 2196 करोड़ रुपये राज्य की हिस्सेदारी है।** वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए कुल 10422.69 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

ऑयल पाम की खेती के लिए किसी वन भूमि की सिफारिश नहीं की गई है।

******